

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-27/2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 14)** जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 15 का संशोधन।
3. धारा 34 का संशोधन।
4. धारा 54 का संशोधन।

2026 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 15 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 15 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) प्रदाय के प्रभावी होने जाने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए प्रदायकर्ता द्वारा कोई नामे नोट जारी किया गया है और इनपुट कर प्रत्यय जिसे ऐसी छूट माना गया है, को धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।”।

3. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) में, “दोनों में कमी पाई जाती है” शब्दों के पश्चात् “या जहाँ धारा 15 की उप-धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छूट प्रदान की गई है” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 54 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उप-धारा (6) में, “माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय” शब्दों के पश्चात् “या उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुयोजित इनपुट कर प्रत्यय” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (14) में, “उप-धारा (5) या उप-धारा (6)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् “,ऐसे मामले, जिनमें भारत से कर का संदाय करके निर्यात किए गए माल के कारण में प्रतिदाय का दावा किया गया हो, से अन्यथा,” चिन्ह, शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यन्त्रिक प्रदाय पर कर के उग्रहण और संग्रहण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुशंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर दृष्टिकोण सहित अपनी तरह का प्रथम ऐतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद् (जी0 एस0 टी0 परिषद) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर का अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसलिए सम्पूर्ण देश में समान सुधार करने के आशय से राज्य अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना समस्त राज्यों के लिए आज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण देश में एकरूपता लाने के आशय से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :.....2026

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
BILL, 2026**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 15.
3. Amendment of section 34.
4. Amendment of section 54.

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
BILL, 2026**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows : -

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026.

(2) Save as otherwise provided in this Act the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 15.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in section 15, in sub-section (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit note has been issued by the supplier and input tax credit as is attributable to such discount has been

reversed by the recipient of the supply, in accordance with the provisions of section 34.”.

3. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “both supplied are found to be deficient”, the words, signs, letter and figures “or where a discount referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 15 is given” shall be inserted.

4. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (6), after the words “supply of goods or services or both”, the words, signs and figures “or of unutilized input tax credit allowed under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3)” shall be inserted; and
- (b) in sub-section (14), after the words, signs and figures “sub-section (5) or sub-section (6)”, the signs and words “, other than cases where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax,” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, one nation, one tax approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :
THE....., 2026

